

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
एलपाईन विद्यापीठ,  
नानीता, सहारनपुर।

पत्रांक/मान्यता/ अंग्रेजी माध्यम/ २८/०४-१०६ /२०१९-२० दिनांक २९-०१-२०२०

विषय-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २०१० के नियम १५ के उप नियम (४) के अधीन मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एलपाईन विद्यापीठ, नानीता, सहारनपुर को दिनांक ०१.०२.२०२० से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा १ से कक्षा ५ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है-

०१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ५ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
०२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ (उपाबंध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० (उपाबंध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
०३. विद्यालय कक्षा १ में (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
०४. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
०५. सॉसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
०६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
  - (१) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (२) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधधीन नहीं किया जायेगा।
  - (३) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (४) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (५) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (६) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
  - (७) अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (८) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
०७. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।
- 01-विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-6870 वर्ग मीटर  
 02-कुल निर्मित क्षेत्र- 2400 वर्ग मीटर  
 03-क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल- 4470 वर्ग मीटर  
 04-कक्षाओं की संख्या-06 कक्ष  
 05-प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष-02 कक्ष  
 06-बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय- 08 बालकों एवं 08 बालिकाओं  
 07-पेयजल सुविधा-06 टैब एवं 01 समर सिबल  
 08-दिड-डे-मील पकान के लिए रसोई- 01 कक्ष  
 09-बाघा रहित पहुंच- उपलब्ध है।  
 10-अध्यापन पठन सामग्री /क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- उपलब्ध है।
09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए - प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. एलपाईन विद्यापीठ, नानौता, सहारनपुर को आबटित मान्यता कोड संख्याक ई0/ 50 - /2020 है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को अग्नि शमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सकें साथ ही विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणों की क्रिया-शीलता समय समय पर अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारियों से सुनिश्चित करायी जायेगी।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(रमेन्द्र कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

पू०सं०/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद सहारनपुर।

/2019-20 दिनांक तदैव।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
एलपाईन विद्यापीठ,  
नानौता, सहारनपुर।

पत्रांक/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/२६३८०-८२ ७२०१९-२० दिनांक ३०-१२-१९

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम २०१० के नियम १५ के उप नियम (१) के अधीन मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं एलपाईन विद्यापीठ, नानौता, सहारनपुर को दिनांक ०१.०१.२०२० से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ६ से कक्षा ८ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

०१. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
०२. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ (उपाबंध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २०१० (उपाबंध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
०३. विद्यालय कक्षा १ में (या यथा रिधति नर्सरी कक्षा) में, उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
०४. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खोलेगा।
०५. सोसाईटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
०६. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
  - (१) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (२) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
  - (३) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (४) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - (५) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (६) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेंगे।
  - (७) अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (८) अध्यापक स्वयं को किसी गिजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
०७. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

६

R16

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाये निम्नानुसार है।
- 01-विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
  - 02-कुल निर्मित क्षेत्र
  - 03-क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
  - 04-कक्षाओं की संख्या
  - 05-प्राध्यापक सह कार्यालय, सह भण्डारागार के लिए कक्ष
  - 06-बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
  - 07-पेयजल सुविधा
  - 08-मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई
  - 09-बाघा रहित पहुंच
  - 10-अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
09. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए - प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. एलपाईन विद्यापीठ, नानौता, सहारनपुर को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ई0 / /2020 है। कृपया इसे नोट कर लें। और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य-करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
16. सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों/कर्मचारियों को अग्नि शमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाये ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सकें साथ ही विद्यालय में उपलब्ध अग्नि शमन उपकरणों की किया शीलता समय समय पर अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारियों से सुनिश्चित करायी जायेगी।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

*RK*  
(रमेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।

पुं0सं0/मान्यता/अंग्रेजी माध्यम/

/2019-20 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक), सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
2. सम्बन्धित खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद सहारनपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
सहारनपुर।